



**THE  
JHARKHAND GAZETTE  
EXTRAORDINARY  
PUBLISHED BY AUTHORITY**

---

**No. 805**

**30 Shrawan, 1940(S)**

---

**Ranchi, Tuesday, 21<sup>st</sup> August, 2018**

---

**COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT**

-----

**Notification  
21<sup>st</sup> August, 2018**

**Notification No. 33/2018 – State Tax**

**S.O. No. 59 Dated. 21<sup>st</sup> August, 2018--** In exercise of the powers conferred by section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Jharkhand Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons may furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

**Table**

Sl. No.	Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July - September, 2018	31 <sup>st</sup> October, 2018
2	October - December, 2018	31 <sup>st</sup> January, 2019
3	January - March, 2019	30 <sup>th</sup> April, 2019

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July, 2018 to March, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

4. This notification shall be deemed to be effective from 10<sup>th</sup> August 2018.

[File.NoVaKar / GST / 03/ 2018]  
By the order of the Governor of Jharkhand,

**K. K. Khandelwal,**  
Additional Chief Secretary.

-----

## वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

21 अगस्त, 2018

अधिसूचना सं०. 33/2018- राज्य कर

एस. ओ. सं. 59 दिनांक 21 अगस्त, 2018-- राज्य सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में संकलित व्यापारावर्त 1.5 करोड़ रुपये तक है को, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों जो माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे यथा उल्लिखित विशिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है ।

2. उक्त व्यक्ति, उक्त सारणी के स्तभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समय अवधि तक, नीचे दी गई सारणी के स्तभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट प्रभावी त्रैमास के दौरान, माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे झारखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत कर सकेंगे, अर्थात:-

### सारणी

क्र.सं.	त्रैमास जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने हैं	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि
(1)	(2)	(3)
1	जुलाई-सितम्बर, 2018	31 अक्टूबर, 2018
2	अक्टूबर,-दिसम्बर, 2018	31 जनवरी, 2019
3	जनवरी-मार्च, 2019	30 अप्रैल, 2019

3. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उप धारा(1) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 के लिए तत्पश्चात् शासकीय राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी ।

4. यह अधिसूचना 10 अगस्त, 2018 प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/03/2018]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,  
अपर मुख्य सचिव ।